न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 120/2017 **दायरा दिनांक : 26.07.2017**

उनवान

1– शब्बीर आत्मज सिद्दू खां, जाति मुसलमान, निवासी छबडा, तहसील छबडा, जिला बारां

2– साबिर आत्मज सिद्दू खां, जाति मुसलमान, निवासी छबडा, तहसील छबडा, जिला बारां

3– मुमताज बेगम पुत्री सिद्दू खां, पत्नी जहूर अली, जाति मुसलमान, निवासी ब्यावरा, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश

4– मेहरून्निसा पत्नी सिद्दू खां पत्नी शकील, जाति मुलसमान, निवासी गुना, जिला गुना मध्यप्रदेश

5– मुन्नीबाई बेवा सिद्दू खां, जाति मुसलमान, निवासी छबडा, तहसील छबडा, जिला बारां

6– शाकिर अली पुत्र सिद्दू खां, जाति मुसलमान, निवासी छबडा, तहसील छबडा, जिला बारां (मृतक) कायम मुकामान :–

6/1– शबाना बी बेवा शाकिर अली, जाति मुसलमान, निवासी छबडा, तहसील छबडा, जिला बारां

6/2– जैनुल पुत्र शाकिर अली, नाबालिग जर्ये वली सरपरस्त माता शबाना बी पत्नी शाकिर अली, जाति मुसलमान, निवासी छबडा, तहसील छबडा, जिला बारां

6/3– जुबैर पुत्र शाकिर अली, नाबालिग जर्ये वली सरपरस्त माता शबाना बी पत्नी शाकिर अली, जाति मुसलमान, निवासी छबडा, तहसील छबडा, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— नाथूलाल आत्मज किशनलाल, जाति अग्रवाल, निवासी छबडा, तहसील छबडा, जिला बारां

2— स्टेट आफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार, छबडा, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री वाई एस भटनागर अभिभाषक अपीलांट
की ओर से
श्री दीनानाथ गालव अभिभाषक रेस्पोडेंट
की ओर से

निर्णय दिनांक : 04.06.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छबडा के प्रकरण संख्या — 46/2009 निर्णय व डिक्री दिनांक 08.07.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नाथूलाल ने अपीलांटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि खसरा नम्बर 294 रकबा 0.15 हेक्टर, खसरा नम्बर 295 रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 296 रकबा 1.00 हेक्टर, खसरा नम्बर 297 रकबा 0.18 हेक्टर, खसरा नम्बर 298 रकबा 3.19 हेक्टर, खसरा नम्बर 301 रकबा 3.13 हेक्टर, खसरा नम्बर 305 रकबा 2.14 हेक्टर

कुल 7 किता की 13.02 हेक्टर आराजी ग्राम छबडा, तहसील छबडा में स्थित है जिसमें वादी का 1/6 हिस्सा निहित है । वादी अपने खाते की आराजी को पृथक से दर्ज कराना चाहता है । अतः दावा वादी स्वीकार कर वादी का 1/6 हिस्सा पृथक से दर्ज किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 08.07.2017 को लोक अदालत में विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अपीलांटगण के पिता/पति शाकिर अली कथित रूप से वादग्रस्त आराजी का 1/6 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.03.2005को विक्रय करना बताया है । विक्रय पत्र प्रारम्भ से ही अवैध एवं प्रभावशुन्य है । शाकिर अली ने अपने जीवनकाल में इस विक्रय पत्र को अवैध एवं प्रभावशून्य घोषित करने के लिए एक दावा दीवानी न्यायालय में जिला न्यायाधीश छबडा में पेश किया था । यह दावा न्यायालय द्वारा अस्वीकार किया गया जिसकी अपील उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर में विचाराधीन है । अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को दिनांक 29.06.2016 को स्टेटप किया था । दिनांक 08.07.2017 को अपीलांट एवं उनके अभिभाषक ने न्यायालय को अवगत कराया था कि यह प्रकरण पूर्व में स्टेटप किया जा चुका है । अब पुनः नियमानुसार इसको नम्बर पर लिया जाकर अपीलांट को साक्ष्य का मौका दिया जाये । अपीलांटगण ने इस आशय का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया था कि कार्यवाही रोक दी जाये परन्तु न्यायालय ने पक्षपात पूर्ण निर्णय पारित किया है । कभी भी वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेंट का कब्जा नहीं रहा है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि लोक अदालत में निर्णय पारित किया गया है तथा निर्णय तनकीवार पारित नहीं किया गया है । सी पी सी की पालना नहीं की गई है । किसी प्रकार का राजीनामा पक्षकारों के मध्य नहीं हुआ है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई । लिखित बहस में उनके द्वारा कथन किया गया कि वादग्रस्त आराजी में वादी रेस्पोडेंट का 1/6 हिस्सा निहित है । दीवानी वाद में अपर जिला न्यायाधीश में वादी को 1/6 भाग पृथक कराकर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये हैं । आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की है । बेचान को निरस्त करने का जो दावा किया था वह खारिज हो चुका है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने आदेश दिनांक 29.06.2016 के अनुसार वाद को स्टेटप किया गया है । इसके उपरान्त वादी के प्रार्थना पत्र बाबत रेस्टोरेशन दावे के लिए पत्रावली में प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये और पत्रावली तलबी में नियत थी । इसके उपरान्त पुनः दिनांक 08.07.2017 को लोक अदालत में रखा गया । इस दिनांक को पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा नहीं हो पाया और इसी दिनांक को निर्णय पारित किया गया है । पत्रावली में पक्षकारान की साक्ष्य रेकार्ड नहीं हो पायी है । पूर्व की आदेशिका

दिनांक 08.10.2014 के अनुसार तनकीयात कायम नहीं की जा चुकी है और दिनांक 21.01.2015 के अनुसार एक अतिरिक्त तनकी जोड़े जाने हेतु दिनांक 25.02.2015 को नियत की गई थी । इसके उपरान्त वादी और प्रतिवादी की साक्ष्य नहीं हो पायी है और अपीलाधीन निर्णय लोक अदालत में पारित किया गया है । निर्णय तनकीवार नहीं है जो सी पी सी के प्रावधानों के विपरीत है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो । उसके अभाव में सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार जवाब दावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.07.2017 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 16.08.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 04.06.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा